मानव तस्करी से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष ने 'डिजिटल युग **में मानव तस्करी का सामना '** विषय पर एक दविसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- आयोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया।

मुख्य बिंदु

- **सम्मेलन के बारे में:**
    - सम्मेलन में मानव तस्करी में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ते दोहन की जाँच की गई।
    - चर्चा में तस्करी अपराधों को बढ़ावा देने में इंटरनेट, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य ऑनलाइन उपकरणों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - **विशेषज्ञों ने प्रौद्योगिकी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े निवारक** उपायों पर विचार-विमर्श किया।
- **अध्यक्ष का मुख्य भाषण:**
    - अध्यक्ष ने यौन शोषण, श्रम शोषण, अंग तस्करी और जबरन विवाह सहित डिजिटल तस्करी के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला।
    - उन्होंने **रिक्रूटमेंट** रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की जैसे:
        - एक्टिव रिक्रूटमेंट (हुक फिशिंग)- पीड़ितों को ऑनलाइन प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाना।
        - पैसिव रिक्रूटमेंट (नेट फिशिंग) - संभावित पीड़ितों को आकर्षित करने के लिये डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करना।
    - उन्होंने **डिजिटल शोषण** का सामना करने के लिये जन जागरुकता, मज़बूत नियामक ढाँचे और तकनीकी समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- **मुख्य सिफारिशें:**
    - अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (ITPA) में संशोधन करके बाल एवं वयस्क तस्करी के बीच स्पष्ट अंतर किया जाए तथा साइबर तस्करी को भी इसमें शामिल किया जाए।
    - डिजिटल तस्करी से संबंधित कानूनी कमियों को दूर करने के लिये ITPA और IT अधिनियम के बीच औपचारिक संबंध स्थापित करना।
    - बेहतर सार्वजनिक भागीदारी के लिये महिलाओं और बच्चों के केंद्रीकृत शिकायत एवं रोकथाम (CCPWC) जैसे स्व-रिपोर्टिंग पोर्टलों पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएँ।
    - डिजिटल युग में मानव तस्करी से निपटने के लिये मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTU) के प्रशिक्षण और संसाधनों को बढ़ाना।
    - नीति निर्माण के लिये विभिन्न श्रेणियों में मानव तस्करी के मामलों को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के लिये डाटा संग्रह तंत्र में सुधार करना।
    - स्थानीय समुदायों को **तस्करी अपराधों की रोकथाम और रिपोर्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु** सामुदायिक सहभागिता को मज़बूत करना।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- **परिचय**
    - **यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।**
    - **भारतीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं द्वारा गारंटीकृत अधिकार, जिन्हें भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।**
- **स्थापना:**
    - **12 अक्तूबर 1993 को** मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 **के तहत स्थापित।**
    - **मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित।**
    - **मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिये अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप इसकी स्थापना की गई है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-conference-on-combating-human-trafficking